



बिहार सरकार

कार्यालय नगर परिषद, अरवल



ई-मेल eonparwal@gmail.com

मोबाईल नंबर -06337228810

पत्रांक - 197 / न0प0

दिनांक 28/11/2020


फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, अरवल नगर परिषद द्वारा पथ विक्रेता से संबन्धित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्रम सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु सर्पक किये जा सकें
1.	पंजीकरण	1. परिवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाइल APP के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	सामुदायिक संगठक / नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र जारी करने हेतु	1. SULM वेवसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथी से छः महीने अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
3.	विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु	1. SULM वेवसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

28

				तिथी से छः महीने अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।		
4.	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान / प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1 पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान / प्रमाण पत्र नवीकरण सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु -500 / रु०	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
5.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1 नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा / दस्तावेज के आधार पर	50 / रु०	7 दिन	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी


 अध्यक्ष
 नगर विक्रय समिति
 अरवल नगर परिषद।